लोक सभा आम चुनाव, 2019 अत्यावश्यक

समाहरणालय, मुजफ्फरपुर
(जिला निर्वाचन कार्यालय)
संशोधित आदेश

जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक 1242/निर्वा0 दिनांक 31.03.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न रूप में संशोधित आदेश निर्गत किया जाता है। लोक सभा निर्वाचन, 2019 के अन्तर्गत16–वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन हेतु दिनांक 16.04.2019 (मंगलवार) से दिनांक 23.04.2019 (मंगलवार) तक 11.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे के बीच नाम निर्देशन का कार्य होना है। आयोग से प्राप्त कार्यक्रम निम्नवत् है :–

16–वैशाली

1. अधिसूचना जारी होने की तिथि	–	16.04.2019 (मंगलवार)
2.नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि	–	23.04.2019 (मंगलवार)
3. नाम निर्देशन पत्रों के संवीक्षा करने की तिथि	–	24.04.2019 (बुधवार)
4. अभ्यर्थिताएँ वापस लेने की अंतिम तिथि	–	26.04.2019 (शुक्रवार)
5. मतदान की तिथि	–	12.05.2019 (रविवार)
6. मतगणना तिथि	–	23.05.2019 (वृहस्पतिवार)
7. वह तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जायेगा	–	27.05.2019 (सोमवार)

अधिसूचना जारी होने की तिथि को प्ररूप–I में सूचना (अंग्रेजी एवं हिन्दी में) तैयार कराकर इन्हें सभी निर्दिष्ट स्थानों पर प्रकाशित कराने की कार्रवाई उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा ससमय की जायेगी।

नाम निर्देशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों/गतिविधियों में निर्वाची पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु निम्नरूपेण प्रतिनियुक्तियां की जाती है :–

16–वैशाली

पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	संबंद्ध कर्मी का नाम	आवंटित कार्य
श्री अतुल कुमार वर्मा, अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन), मुजफ्फरपुर	श्री राजीव रंजन, प्रधान लिपिक, जिला सामान्य प्रशाखा, मुजफ्फरपुर	1. निर्वाची पदाधिकारी को नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने में मदद करना।
		2. नाम निर्देशन से संबंधित कागजातों की प्राथमिक जॉच में मदद करना।
		3. प्ररूप 26 में प्राप्त–शपथ पत्र के प्रत्येक स्तम्भ की जॉच।
		4. यदि प्ररूप 26 में दाखिल किये गये शपथ पत्र में कोई त्रुटि है, तो निर्वाची पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका, 2019 के एनेक्चर 23 में दिये गये विहित प्रपत्र में नोटिश निर्गत करना।
	श्री संजय कुमार, लिपिक, जिला आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर।	5. निर्वाचक सूची की सत्यापित प्रति (यदि अभ्यर्थी किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का है) / फार्म 'ए' एवं 'बी' (यदि अभ्यर्थी किसी राजनैतिक दल का प्रत्याशी है) / जाति प्रमाण–पत्र (यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का है) / रक्षित राशि (Security Deposit) / शपथ या प्रतिज्ञान (Oath) से संबंधित दस्तावेजों (Documents) की जाँच।
		6. यदि उपर्युक्त छः दस्तावेजों में से कोई एक भी दस्तावेज

		उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित अभ्यर्थी को Checklist of Document in Connection with filling of nomination में सूचना निर्गत करना और उसकी प्राप्ति संधारित करना तथा अभिलेख का संधारण करना।
		7. नामांकन पश्चात् अभ्यर्थी से संविधान की अनुच्छेद 84(ए) के अन्तर्गत शपथ या अभिज्ञान दिलवाने एवं शपथ–पत्र प्राप्त करने का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में निर्वाची पदाधिकारी की मदद करना।
		8. अभ्यर्थी से बैंक खाता की सूचना प्राप्त करना।
		9. अभ्यर्थी द्वारा बैंक खाता संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने पर अभ्यर्थी को नोटिस निर्गत करना।
		10. सभी अभ्यर्थियों को नामांकन के तत्काल उपरांत Format-C-1, Format- C-2, Format- C-4 एवं Format- C-5 की प्रति उपलब्ध कराना तथा Format- C-3 में नोटिस निर्गत करना।
श्री उज्जवल कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर	श्री विनित कुमार सहायक शिक्षक, कुढ़नी प्रखण्ड मुजफ्फरपुर	1. अभ्यर्थी को प्रतीक आवंटन की सूचना संबंधी पत्र उपलब्ध कराना तथा प्राप्त नाम निर्देशन पत्र के अनुसार पंजी का संधारण करना।
		2. अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये प्रतीक का मिलान आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये आरक्षित (Reserved) प्रतीक एवं मुफ्त (Free) प्रतीक से करना एवं अभ्यर्थियों को आवंटित प्रतीक को सचित्र उपलब्ध कराते हुए उनसे प्राप्ति प्राप्त कर संधारित करना। साथ ही आवंटित किये जाने वाले प्रतीक को आई0टी0 मैनेजर की सहायता से सॉफ्ट कॉपी में सुरक्षित रखेंगे।
		3. स्क्रूटनी एवं अभ्यर्थिता वापसी में निर्वाची पदाधिकारी की मदद करना।
		4. निर्वाची पदाधिकारी से विमर्श कर स्क्रूटनी हेतु चेक स्लिप तैयार करना।
		5. स्क्रूटनी के समय स्क्रूटनी का चेक स्लिप भरकर निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित करना।
		6. प्रपत्र 7क में अंतिम रूप से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना।
श्री मो0 उमैर, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	श्री भोला राम, लिपिक, जिला स्थापना कार्यालय, मुजफ्फरपुर	1. अभ्यर्थी एवं उनके प्रस्थापक का नाम, निर्वाचक सूची में क्रमांक आदि की जॉच अद्यतन निर्वाचक सूची से करना।
		2. आयोग से प्राप्त निर्हरित व्यक्तियों की सूची से अभ्यर्थी के नाम का मिलान करना। धारा–10ए के तहत निर्हरित व्यक्तियों की सूची www.eci.nic.in पर Judicial Reference List of Disqualified Persons के रूप में है, जिसे आवश्यकतानुसार देखा जा सकता है।
		3. फरारी की सूची (यदि कोई हो) से अभ्यर्थी के नाम का मिलान करना।
		4. अभ्यर्थी एवं निर्वाचक अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर का नमूना निर्वाची पदाधिकारी हस्तपुस्तिका, 2019 के एनेक्चर 23 में दिये गये प्रारूप में संधारित करना।
		5. अभ्यर्थी से Request Form में उनसे संबंधित सूचना यथा

		नाम, पता, सम्पर्क नम्बर आदि प्राप्त करना।
	श्री शशि कुमार, लिपिक, प्रखण्ड कार्यालय, साहेबगंज	1. निर्वाचन व्यय पंजी एवं अन्य निर्दिष्ट पंजी अभ्यर्थी / प्रस्थापक को उपलब्ध कराकर प्राप्ति संधारित करना।
		2. Compendium of Instructions for Election Expenditure, की हिन्दी प्रति उपलब्ध कराना एवं प्राप्ति संधारित करना।
	श्री पंकज कुमार झा, लिपिक, अनुमण्डल कार्यालय, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर	3. चुनाव प्रचार हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री के दर की सूची उपलब्ध कराना एवं प्राप्ति संधारित करना।
		4. Election Expenditure से संबंधित RP Act -1951, की धारा 77 एवं 78 की प्रति उपलब्ध कराकर प्राप्ति संधारित करना।
		5. Guidlines of ECI for Poltical Parties (Hindi) की प्रति उपलब्ध कराकर प्राप्ति संधारित करना।
		6. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये निर्गत आदर्श आचार संहिता की प्रति उपलब्ध कराकर प्राप्ति संधारित करना।
		7. RP Act -1951 की धारा 127 ए के तहत पोस्टर बैनर के मुद्रण में प्रतिबंध संबंधी अनुदेश की प्रति अभ्यर्थी / प्रस्थापक को उपलब्ध कराकर प्राप्ति संधारित करना।
		8. अभ्यर्थी / प्रस्थापक को आदर्श आचार संहिता के तहत राजनैतिक दलों हेतु आयोग से निर्गत अनुदेश, FAQ, DOs & Dont's ,oa Penal Provisions (एनेक्चर 22) की प्रति उपलब्ध कराकर प्राप्ति संधारित करना।
		9. ई0वी0एम0 के अनुदेश की प्रति उपलब्ध कराना तथा प्राप्ति संधारित करना।
	श्री राम नारायण कुमार, लिपिक, जिला लोक सूचना कार्यालय, मुजफ्फरपुर।	1. प्रत्येक नामांकन की तिथि को प्ररूप 3ए में नामांकन संबंधी सूचना एकत्रित कर नोटिस तैयार करना एवं नोटिस वोर्ड पर लगाना।
		2. प्रत्येक नामांकन की तिथि को 3.00 बजे अपराह्न पश्चात् नोटिस बोर्ड पर नाम निर्देशन पत्र एवं प्ररूप 26 में दिये गये एफिडेविट को प्रदर्शित करना। इन कागजातों को आयोग द्वारा निदेशित अन्य स्थलों पर भी प्रकाशित करना।
		3. यदि कोई व्यक्ति नामांकन पत्र एवं एफिडेविट के विरूद्ध यदि एफिडेविट के माध्यम से कोई दावा करता है, तो उसे भी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना।
	श्री आनन्द कुमार, लिपिक, जिला राजस्व अभिलेखागार, मुजफ्फरपुर	1. प्रत्येक नामांकन की तिथि को 3.00 बजे अपराह्न पश्चात् नाम निर्देशन पत्र एवं प्ररूप 26 में दिये गये एफिडेविट को स्कैन कर अभ्यर्थीवार एवं तिथिवार उसे संधारित करने एवं इससे संबंधित सी0डी0 संबंधी अभिलेख निर्वाची पदाधिकारी को सुरक्षित रूप से उनके सेफ में रखने हेतु उपलब्ध कराना। साथ ही फोल्डर तिथिवार एवं अभ्यर्थीवार संधारित करेंगे तथा External Hard Disk में भी प्रतिदिन सुरक्षित रखेंगे।
		2. एफिडेविट दाखिल करने के तत्काल बाद स्कैन कर **वेबसाइट** पर उसी तिथि को अपलोड करना।

		3. यदि कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी के एफिडेविट के विरूद्ध एफिडेविट के माध्यम से कोई दावा करता है, तो उसे भी एफिडेविट दाखिल करने के 24 घंटे के अन्दर स्कैन कर वेबसाईट पर अपलोड करना।
		4. नामांकन की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 23.04.2019 को निर्वाची पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका, 2019 आलोक में विहित प्रपत्र में 'List of Nominated Candidate' तैयार करना तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय को भेजना।
		5. दिनांक 24.04.2019 को संवीक्षा के तुरंत बाद प्ररूप 4 में Validly Nominated Candidate की सूची तैयार करना तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय को भेजना।
	मनोज कुमार वर्मा, प्रधान लिपिक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर	1. दिनांक 26.04.2019 को अभ्यर्थिता वापसी के तुरंत बाद इससे संबंधित सूचना एकत्रित कर प्ररूप 6 में समेकित कर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना।
		2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय पत्र के आलोक में अभ्यर्थिता वापसी के तुरंत पश्चात् प्री–पोल डाटा संबंधी प्रतिवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय को भेजना।
		3. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय को विहित प्रपत्र में Facts at a Glance भेजना।
		4. अभ्यर्थिता वापसी के दो दिनों के अन्दर अभ्यर्थियों पर सरकारी देयताओं (Government Dues) से संबंधित विवरण निर्वाची पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका, 2019 के एनेक्चर 16 में दिये गये प्रपत्र में संग्रहित कर दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना।
		5. अभ्यर्थी को पहचान–पत्र निर्गत करने हेतु उनसे पासपोर्ट आकार का दो फोटो प्राप्त करना तथा सभी अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में पहचान पत्र निर्गत करना।

उपरोक्त प्रतिनियुक्त कर्मी उनके नाम के सामने आवंटित कार्यो के अतिरिक्त वह सभी कार्य करेंगे जो निर्वाची पदाधिकारी / विनिर्दिष्ट सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर उन्हें सौंपे जायेगें।

<u>16–वैशाली</u>

<u>अन्य कोषांगो का दायित्वः–</u>

1. **निर्वाचन शाखा** – नोडल पदाधिकारी, निर्वाचन आयोग के द्वारा उपलब्ध कराये गये नाम निर्देशन पत्र तैयार कर उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को हार्ड प्रति एवं सॉफ्ट प्रति उपलब्ध करायेगे उप निर्वाचन पदाधिकारी नाम निदेशन पत्रों की यथेष्ट प्रतियाँ मुद्रण कराकर निर्वाची पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के नामांकन कोषांग को हस्तगत करा देंगे तथा पर्याप्त संख्या में नाजिर रसीद भी नाजिर उपलब्ध रखेगें ताकि अभ्यर्थि द्वारा नामांकन शूल्क जाम करने के उपरांत उन्हें नाम निर्देशन पत्र उपलब्ध कराया जा सके। जिला निर्वाचन कार्यालय, मुजफ्फरपुर नाम निर्देशन हेतु यथेष्ट संख्या में 16–वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये 15.04.2019 तक सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की अद्यतन फोटोयुक्त निर्वाचक सूची भी नाम निर्देशन कोषांग को पूर्वाहन 10:00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगा। शाखा में उपलब्ध External Hard Disk तथा आवश्यक संख्या में सी0डी0 आई0टी0 मैनेजर को उपलब्ध करायेंगे।
2. **जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी तथा आई0टी0 कोषांग** – मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार से प्राप्त पत्र के आलोक में http://genesys.nic.in पर P01/A01, P02/A02, Uploading Affidavit, P03/D03 एवं EPIC Coverage से संबंधित प्रपत्रों में 16 – वैशाली लोक सभा आम निर्वाचन, 2019

से संबंधित सूचना संबंधित निर्वाची पदाधिकारी/विनिर्दिष्ट सहायक निर्वाची पदाधिकारी के नामांकन कोषांग से प्राप्त कर ससमय अपलोडिंग का कार्य जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर तथा आई0टी0 मैनेजर द्वारा सम्पादित किया जायेगा। नामांकन से संबंधित सभी सूचनाओं/प्रपत्र आदि को new suvidha तथा website पर ससमय अपलोड करने के पूर्ण प्रभार में जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी तथा जिला आई0टी0 प्रबंधक, मुजफ्फरपुर रहेंगे।

3. **निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में कम्प्यूटर का अधिष्ठापन** – नाम निर्देश कोषांग हेतु कम्प्यूटर कर्मी के रूप में श्री शशांक शेखर, आई0टी0 सहायक, साहेबगंज प्रखंड प्रतिनियुक्त नामांकन कोषांग के द्वारा कम्प्युटर संबंधी कार्य सम्पादित करेगें। नाम निर्देशन कोषांग हेतु एक कम्प्यूटर एवं एक प्रिन्टर की व्यवस्था आई0टी0 कोषांग के सहायक नोडल पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। इन्टरनेट कनेक्टीविटि/डाटा कार्ड की सुविधा भी संबंधित कम्प्यूटर के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

4. **डिजिटल कैमरा कोषांग** – आयोग के निदेशानुसार नाम निर्देशन की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी जानी है। नोडल पदाधिकारी, कैमरा कोषांग नाम निर्देशन वाले कक्ष में एक अनुभवी वीडियोग्राफर की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे तथा प्रतिदिन नाम निर्देशन से संबंधित सी0डी0 राईट कर निर्वाची पदाधिकारी को अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने हेतु उपलब्ध करायेंगे। साथ ही उस वीडियोग्राफर को नाम निर्देशन के वीडियोग्राफी किये जाने के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण भी देना सुनिश्चित करेंगे।

5. **विधि व्यवस्था कोषांग** – यह कोषांग नाम निर्देशन की तिथि से प्रतीक आवंटन की तिथि तक नाम निर्देशन स्थल पर विधि व्यवस्था संधारण करने हेतु संयुक्तादेश निर्गत करेगा। अनुमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सदर उक्त अवधि में निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष के 200 मीटर के दायरे में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया सहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू करना सुनिश्चित करेगें। साथ ही इस आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

6. **नामांकन के समय नामांकन कक्ष के बाहर दण्डाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति** – वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर नामांकन कक्ष के बाहर पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति करेंगें। उक्त पुलिस पदाधिकारी के साथ भगौड़ें/फरार अपराधियों की सूची रहेगी ताकि वे नामांकन के समय में इसका सत्यापन कर यदि ऐसे अपराधि नामांकन करने आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करेंगें। प्रतिनियुक्त पुलिस बल के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुजफ्फरपुर नामांकन कक्ष के बाहर एक दण्डाधिकारी को प्रतिनियुक्त करेंगें।

उपरोक्त प्रतिनियुक्त कर्मी उनके नाम के सामने आवंटित कार्यो के अतिरिक्त वह सभी कार्य करेंगे जो निर्वाची पदाधिकारी / विनिर्दिष्ट सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर उन्हें सौंपे जायेगें।

<u>16–वैशाली</u>

7. **Help Desk Cell** – नामांकन के समय अभ्यर्थियों को सूचना उपलब्ध कराने एवं उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए जिला पदाधिकारी के न्यायालय कक्ष में **Help Desk Cell** की स्थापना की जाती है। इस केन्द्र के सम्पूर्ण प्रभार में श्री फैयाज अख्तर, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर रहेंगें। इनके सहयोग हेतु निम्न लिपिक एवं अनुसेवक इस केन्द्र के साथ संबद्ध रहेंगें –

- श्री श्रीनाथ कुमार, संविदा लिपिक, जिला पंचायत राज प्रशाखा, मुजफ्फरपुर।
- श्री राजकिशोर त्रिवेदी, लिपिक, जिला पंचायत राज प्रशाखा, मुजफ्फरपुर।
- श्री रूद्रकांत शर्मा, लिपिक, जिला पंचायत राज प्रशाखा, मुजफ्फरपुर।
- श्री नन्द किशोर प्रसाद, पंचायत सचिव, मड़वन।
- श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, पंचायत सचिव, साहेबगंज।
- श्री विनोद सिंह, पंचायत सचिव, मड़वन।
- श्री केशव कुमार, आई0टी0 सहायक, काँटी।
- श्री विक्की कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, जिला निर्वाचन कार्यालय, मुजफ्फरपुर।

- श्री सौरभ कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, प्रखण्ड पशुपालन कार्यालय, पारू।
- श्री धीरेन्द्र कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, प्रखण्ड पशुपालन कार्यालय, कुढ़नी।
- श्री मंजय कुमार, कार्यालय परिचारी, जिला स्थापना प्रशाखा, मुजफ्फरपुर।
- श्री रितलाल पासवान, कार्यालय परिचारी, जिला पंचायत राज प्रशाखा, मुजफ्फरपुर।

अभ्यर्थियों द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति की राशि के विरूद्ध नाजीर के रसीद निम्नवत् कार्यालय द्वारा निर्गत की जायेगी।

क्र0 सं0	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम	कर्मी का नाम एवं कार्यालय का नाम जहाँ से नाजीर रसीद निर्गत किया जाना है।	प्रतिभूति की राशि
1	16—वैशाली	श्री तरूण कुमार, नाजीर, जिला निर्वाचन कार्यालय, मुजफ्फरपुर।	(क) सामान्य उम्मीदवार के लिए 25,000.00 (पच्चीस हजार) रूपये। (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 12,500.00 (बारह हजार पाँच सौ) रूपये।

उपरोक्त सभी संबद्ध पदाधिकारी एवं कर्मी नामांकन की अवधि में उक्त केन्द्र पर उपस्थित रहेंगें तथा प्रत्येक आगन्तुक को पूर्ण सौजन्यता देते हुए उनकी पृच्छा का निवारण करेंगें एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगें। सभी प्रतिनियुक्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटर अपने कम्प्युटर सेट सहित योगदान देना सुनिश्चित करेंगे एवं आई0टी0 सहायक इसका अनुश्रवण करेंगे।

नाम निर्देशन कोषांग के सम्पूर्ण प्रभार में उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर होंगे, जो इस कोषांग से संबंधित सभी कोषांगो के कार्यो का पर्यवेक्षण एवं प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों / कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर उन्हें इस कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

14/4/19

14/4/2019

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—
जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 1658 / **दिनांक** 14.4.19

प्रतिलिपि — अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर/सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, 16 — वैशाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि — जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, मुजफ्फरपुर/आई0टी0 मैनेजर, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि — लोक सभा निर्वाचन, 2019 से जुड़े हुए मुजफ्फरपुर जिला के सभी जिला स्तरीय कोषांगों के नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि — सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — सभी संबंधित प्रतिनियुक्त कर्मी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

14/4/2019

14/4/19

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—
जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

16–वैशाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

अभ्यर्थियों के लिए नाम निर्देशन से संबंधित आवश्यक सूचना

1. नाम निर्देशन पत्र प्ररूप–2क में निर्वाची पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय प्रकोष्ट में जमा किया जाना है।
2. नाम निर्देशन पत्र के साथ प्ररूप–26 (अद्यतन) में शपथ पत्र दाखिल करना होगा।
3. प्ररूप–26 का कोई भी स्तम्भ खाली नहीं रखना है।
4. यदि प्ररूप–26 के किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है, तो **शून्य** या **लागू नहीं** या **ज्ञात नहीं,** जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तम्भ में दर्ज किये जायेंगे।
5. यदि अभ्यर्थी 15 – मुजफ्फरपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाले किसी विधान सभा क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, तो वह संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जहॉ का वह निर्वाचक है, के निर्वाचक सूची में नाम प्रविष्ट होने संबंधी सत्यापित प्रति उपलब्ध करायेंगे।
6. अनुसूचित जाति / जन जाति को निर्धारित प्रतिभूति की राशि में छूट हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा।
7. प्रतिभूति की राशि के रूप में ₹25000/– (पच्चीस हजार) रूपया जमा करना हैं।
8. अनुसूचित जाति / जन जाति हेतु प्रतिभूति की राशि ₹12,500/– (बारह हजार पॉच सौ) रूपया निर्धारित है।
9. मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रपत्र A एवं B मूल में जमा करना होगा।
10. नाम निर्देशन दाखिल करने से पूर्व अभ्यर्थी को चुनाव के दौरान व्यय हेतु किसी भी बैंक में अलग से बैंक खाता खोलना है। यह बैंक खाता अभ्यर्थी का एकल अथवा अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता का संयुक्त खाता होगा। पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान यह ध्यान रखना होगा कि अभ्यर्थी का सभी निर्वाचन व्यय इसी खाता से संचालित होगा।
11. मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनैतिक दलों के उम्मीदवार के लिए एक मात्र प्रस्थापक आवश्यक है।
12. रजिस्टर्ड दल एवं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए दस प्रस्थापक का होना आवश्यक है।
13. सभी प्रस्थापकों का नाम निर्वाचक सूची में अंकित होना अनिवार्य है।
14. अभ्यर्थी अधिकतम चार प्रति में ही नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है।
15. चारों प्रति के लिए प्रतिभूति की राशि एक ही होगी।
16. नाम निर्देश से संबंधित कागजात प्रतिभूति की राशि नाजीर रसीद/ बैंक चालान के माध्यम से जमा करने के पश्चात् जिला निर्वाचन कार्यालय के नाजीर से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।
17. नामांकन के साथ अभ्यर्थी द्वारा दो पासपोर्ट साईज फोटो जमा किया जाना है।